प्रपत्र-२३

परियोजना का नाम :- वन प्रभाग बागेश्वर में NH-309A बागेश्वर- कांमेडी देवी 40 किमी. बागेश्वर-धरमघर रेन्ज के अन्तर्गत सड़क के किनारे आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु रिलायन्स जियो को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने हेतु-

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण– पत्र

जनपद ...बागेश्वर...के अन्तर्गत प्रस्तावित आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने की परियोजना के निर्माण हेतु ...0.265...हे0 वन भूमि रिलायन्स जियो (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एंव वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र संख्या 11–9/98–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2013 के द्वारा रखाकार (liner) प्रयोजनों यथा–सड़क, नहर, पारेषण लाईन ओ0एफ0सी0 केबिल व पाईपलाइन बिछाने आदि के प्रकरणो को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय(Pre Agriculural Tribal Groups) प्रभावित नही हो रहे हैं।

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

ह0/– 07/05/19
जिलाधिकारी

जिलाधिकारी
बागेश्वर

Scanned by CamScanner

कार्यालय – उप जिलाधिकारी, बाघेश्वर
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम, 2006 के तहत् प्रमाण–पत्र
उपखण्ड़ स्तरीय समिति, बाघेश्वर

उत्तराखण्ड जनपद बाघेश्वर के वन प्रभाग बाघेश्वर के विकास खण्ड बाघेश्वर के अन्तर्गत **RoW permission for laying Optical Fiber Cable** जनपद बाघेश्वर के वन प्रभाग बाघेश्वर में (बाघेश्वर–धर्मगढ) रेज के अन्तर्गत एन0एच0 309ए (बाघेश्वर–कमेडी देवी) 40 कि0मी0, जिसकी कुल लम्बाई 40 कि0मी0, एवं 0.2665है0 के पक्ष में 30 वर्षो की लीज पर दिये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति,(तहसील बागेश्वर) की दिनांक 26/11/19 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण.–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एंव नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री राकेश चन्द्र तिवारी उप जिलाधिकारी एंव अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:– उपजिलाधिकारी बागेश्वर

1. श्री राकेश चन्द्र तिवारी उप जिलाधिकारी (अध्यक्ष)..........
2. श्री बलवन्त सिंह शाही उप प्रभागीय वनाधिकारी (सदस्य).......... उप प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर
3. श्री [illegible] सहायक समाज कल्याण अधिकारी (सदस्य).......... सहा0 समाज कल्याण अधिकारी विकास खण्ड बागेश्वर जनपद–बागेश्वर
4. श्री तारादेवी [illegible] डी0सी0 क्षेत्र (सदस्य).......... तारादेवी

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि बाघेश्वर वन प्रभाग के (बाघेश्वर–धर्मगढ) रेंज के अन्तर्गत एन0एच0 309ए (बाघेश्वर–कमेडी देवी) 40 कि0मी0, जिसकी कुल लम्बाई 40 कि0मी0, एवं 0.2665है0 तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु रिलाइंस जियो इन्फोकॉम लि0 द्वितीय तल एन०सी०आर० प्लाजा, हाथी बडकला, देहरादून को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

के पक्ष में 30 वर्षो की लीज पर दिये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी बाघेश्वर वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एंव तत्संबंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा रही है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड बाघेश्वर परिक्षेत्र के अन्तर्गत वन प्रभाग के अन्तर्गत को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई है।

29/11/19
उपजिलाधिकारी बागेश्वर
उप जिलाधिकारी /अध्यक्ष
उपखण्ड़ स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील–बागेश्वर जनपद–बागेश्वर

प्रतिलिपि – जिलाधिकारी, बाघेश्वर को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपजिलाधिकारी बागेश्वर
उप जिलाधिकारी /अध्यक्ष
उपखण्ड़ स्तरीय वन अधिकार समिति

राजस्व निरीक्षक बागेश्वर

तहसीलदार बागेश्वर

Scanned by CamScanner